

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 77/2022 बउनवानी भाग्य सिंह मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं जिला रसद अधिकारी,स0मा
पुत्र श्री रामस्वरूप मीना, निवासी पीलोदा तहसीलदार वजीरपुर

GCMS No-2022/135

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

23.8.2022

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नहीं। लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 06.5.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाएँ उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:-


1. पीलोदा ग्राम पंचायत में कितने सरकारी कर्मचारी खाद्य सुरक्षा योजना के गलत तरीके से लाभ उठा रहे हैं इनके खिलाफ किस प्रकार की कानूनी कार्यवाही होती है।
2. खाद्य सुरक्षा योजना में पीलोदा ग्राम पंचायत में अब तक अपात्रों के रिकवरी हेतु किस प्रकार की कार्यवाही की गयी है इस विषय में सत्यापित जानकारी दी जावे।
3. अगर किसी सरकारी कर्मचारी के माता पिता खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठा रहे हैं तो वे पात्र है या अपात्र है इस विषय में सत्य जानकारी दिलावे।
4. खाद्य सुरक्षा अधिनियम में वितरित गेहूँ की शुल्क राशि किलो के अनुसार कितने रूपये उपभोक्ता को देनी पडती है इसकी समस्त जानकारी दी जावे।
5. खाद्य सुरक्षा अधिनियम में लाभार्थियों को पोस मशीन से पर्ची नहीं मिलती है तो डीलर के खिलाफ किस प्रकार की कार्यवाही बनती है इस विषय में सत्यापित सूचना दी जावे।
6. उपभोक्ता सप्ताह माह में किस तारीख से किस तारीख तक होता है इसमें दुकान खुलने का समय आदि बतावे।
7. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाली सामग्री किस प्रकार विभाग द्वारा किन किन वस्तुओं के रूप में दी जा रही है इसकी सत्यापित सूचना दी जावे।
8. केरोसीन वितरण के बारे में सूचना दी जावे किस तिथि से बन्द किया गया है।
9. खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत वितरण सामग्री किस कर्मचारी के निरीक्षण में वितरण की जाती है। ग्राम पीलोदा में इसकी जानकारी देवे।
10. एन.एफ.एस योजना के लाभार्थियों के विभाग द्वारा अन्य सुविधा प्रदान किस प्रकार उपलब्ध करवायी जाती है इसकी जानकारी दी जावे।
11. खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएस) लाभार्थियों को कुल अनाज गेहूँ कितना आवंटित किया जाता है पीलोदा ग्राम पंचायत में इस विषय में सत्यापित जानकारी देवे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर कर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

सुरेश कुमार ओला
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

नियत पेशी पर अपीलान्त उपस्थित नहीं हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार रसद ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/आरटीआई/ 2022/ 806 दिनांक 23.8.2022 से अवगत कराया कि उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दु संख्या 4,7 की सूचना अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा चुकी है शेष बिन्दुओं की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण उपलब्ध नहीं करवायी गयी है जिसके संबंध में अपीलान्त को अवगत कराया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्त खारिज किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत दिनांक 6.5.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 4,7 की सूचना जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्त को उपलब्ध करवायी गयी है शेष सूचना प्रश्नात्मक होने से उपलब्ध नहीं करवायी गयी है। यद्यपि चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक है किन्तु सामान्य प्रकृति की होने के कारण अपीलान्त को उपलब्ध करवायी जा सकती है। अतः जिला रसद अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि शेष बिन्दुओं की सूचना भी अपीलान्त 7 दिवस में उपलब्ध करवायी जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्त का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनवाया गया।


(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर